



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 1 राँची, शुक्रवार,

1 जनवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

9 दिसम्बर, 2020

संख्या--5/आरोप-1-518/2014 का.-6383/--श्री प्रेम प्रकाश सिन्हा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-318/03, गृह जिला-दुमका), के अंचल अधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरैया, सारण, छपरा, बिहार के पद पर कार्यावधि संबंधित समाहर्त्ता, सारण, छपरा (बिहार) के पत्रांक-180मु०/स्था०, दिनांक 01.07.2004 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र-‘क’ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7758, दिनांक 10.09.2004 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिन्हा के विरुद्ध सामान्य भविष्य निधि मद से अवैध निकासी से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-232/02-03 के आलोक में वित्तीय अनियमितता करने, भविष्य निधि अस्थायी अग्रिम की निकासी से संबंधित कर्मचारियों द्वारा बिना आवेदन दिये उनके नाम पर राशि की स्वीकृति एवं निकासी कर रोकड़ बही के व्यय पक्ष में व्यय दिखाकर राशि का गबन करने का आरोप लगाया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कुल 2,35,000/- रु० की राशि जालसाजी कर अस्थायी भविष्य निधि अग्रिम के रूप में स्वीकृत एवं निकासी की गई, परन्तु उसका भुगतान संबंधित कर्मचारियों को न करके उसे रोकड़ बही के व्यय पक्ष में व्यय दिखाकर उनके एवं नाजीर द्वारा गबन करने का आरोप लगाया गया। साथ ही, श्री राजेश कुमार सिंह, तत्कालीन नाजीर के भविष्य निधि खता सं०-एस०ए०आरा०/कॉल-1635 में कुल जमा राशि 70,779/- रु० के विरुद्ध 1,25,000/- रु० की स्वीकृति एवं निकासी करने का भी आरोप लगाया गया।

श्री सिन्हा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-112/मु0, दिनांक 14.11.2012 द्वारा गठित एक अन्य आरोप प्रपत्र-‘क’ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-15962, दिनांक 20.11.2014 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया है-

(i) आप दिनांक 20.07.2001 से 16.02.2002 तक प्रखण्ड कार्यालय, तरैया में पदस्थपित थे।

(ii) अपने कार्यकाल के दरम्यान आपके द्वारा श्री महावीर राय, चौकीदार जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.1999 थी, को सेवानिवृत्ति के बाद भी वेतन भुगतान किया जाता रहा है।

(iii) श्री राय को माह जुलाई 2001 से जनवरी 2002 तक वेतन का भुगतान किया गया।

(iv) यदि स्व0 राय को 7 माह तक आपके कार्यकाल में वेतन भुगतान किया जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हुई। यह आपके लापरवाही, उदासीनता एवं कर्तव्यहीनता के कारण स्व0 राय को सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात, तक वेतन भुगतान किया गया है।

उक्त दोनों प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-6037, दिनांक 15.07.2016 द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा के पत्रांक-226, दिनांक 11.08.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा (बिहार) के पत्रांक-180मु0/स्था0, दिनांक 01.07.2004 द्वारा गठित आरोपों के आलोक में सामान्य भविष्य निधि की राशि के गबन में तत्कालीन नाजीर श्री राजेश कुमार सिंह के साथ-साथ श्री सिन्हा को भी उत्तरदायी प्रतिवेदित किया गया तथा जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-112/मु0, दिनांक 14.11.2012 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री महावीर राय, चौकीदार के सेवानिवृत्ति के उपरांत भी वेतन की निकासी करने आरोपी द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया प्रतिवेदित किया गया।

श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री सिन्हा के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 50% राशि की कटौती तीन वर्षों तक काटने का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-9342, दिनांक 24.12.2018 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इनसे द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त रहने पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु फिर भी उनका उत्तर अप्राप्त रहा।

श्री सिन्हा से द्वितीय कारण अप्राप्त रहने पर श्री सिन्हा के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 50% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित अधिरोपित करने हेतु विभागीय पत्रांक-9719, दिनांक 04.12.2019 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गयी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-

1819, दिनांक 19.08.2020 द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक किये जाने पर सहमति प्रदान की गई है।

समीक्षोपरांत, श्री प्रेम प्रकाश सिन्हा, तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया, सारण, छपरा (बिहार) के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव।
